

- 1

# उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

रायपुर—थानों रोड,निकट—महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज,रायपुर देहरादून—248008

वेबसाइट—www.sssc.uk.gov.in विज्ञापन संख्याः 51 / उठअ०से०च०आ० / 2024

E- mail: <u>chayanayog@gmail.com</u> दिनांकः 08 जनवरी, 2024

### चयन हेत् विज्ञापन

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह 'ग' के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के इण्टरमीडिएट स्तरीय अर्हता के रिक्त पदों पर चयन हेतु विज्ञापन।

| विज्ञापन प्रकाशन की तिथि                       | 08 जनवरी, 2024             |
|--|----------------------------|
| ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारम्भ तिथि             | 10 जनवरी, 2024             |
| ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि               | 30 जनवरी, 2024             |
| ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि/अवधि | 01 फरवरी से 03 फरवरी, 2024 |
| लिखित प्रतियोगी परीक्षा की अनुमानित तिथि       | 11 फरवरी, 2024             |

उत्तरखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह 'ग' के अन्तर्गत पशुपालन विभाग में पशुधन प्रसार अधिकारी के 120 रिक्त पदों, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में सहायक प्रशिक्षण अधिकारी (रसायन शाखा) के 03 रिक्त पदों, रेशम विकास विभाग में अधिदर्शक /प्रदर्शक (रेशम) के 10 रिक्त पदों तथा रेशम विकास विभाग में निरीक्षक (रेशम) के 03 रिक्त पदों, अर्थात कुल 136 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित किए जाते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in पर दिनांक 30.01.2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा वस्तुनिष्ठ प्रकार की Offline अथवा Online Mode में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। प्रतियोगी परीक्षा के संबंध में उल्लिखित तिथि अनुमानित है। परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय पृथक से आयोग की वेबसाइट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति तथा अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन—पत्र में दिये गये Phone/Mobile Number पर S.M.S. तथा E-Mail द्वारा भी उपलब्ध करायी जाएगी। अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से ही डाउनलोड कर सकेंगे। आयोग द्वारा डाक के माध्यम से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं भी आयोग की वेबसाइट, E-Mail या S.M.S. से ही मिलेंगी। इसलिए अभ्यर्थी आवेदन पत्र में स्वयं का Phone/Mobile Number व E-Mail ही भरें। आयोग द्वारा सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जाएंगी, अतः आवश्यक है, कि अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी यथा परीक्षा कार्यक्रम, प्रवेश पत्र जारी करना आदि के लिए आयोग की वेबसाइट <u>www.sssc.uk.gov.in</u>को समय—समय पर देखते रहें।

Jours

### 1. <u>पदनाम</u>—

पदकोड-343/646/51/2024

कुल पद-120

(i) रिक्तियों का विवरण:-

|             |                                      |                  |             | क्षैतिज                         | आरक्षण                           | के अन्तर्गत                    | रिक्त पदों व     | गे संख्या             |
|-------------|--------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|
| क्र0<br>सं0 | पदनाम/विभाग का<br>नाम                | आरक्षण<br>श्रेणी | रिक्त<br>पद | उत्तराखण्ड<br>महिला<br>(UK.WO.) | स्व०सं०से०<br>के आश्रित<br>(DFF) | मृतपूर्व<br>सैनिक<br>(EX.SER.) | अनाध<br>(ORPHAN) | दिव्यांग<br>(DIVYANG) |
| 1           | 2                                    | 3                | 4           | 5                               | 6                                | 7                              | 8                | 9                     |
|             | अ०जा०<br>(SC)                        | 21               | 06          | _                               | 01                               | _                              |                  |                       |
|             | पशूधन प्रसार                         | अ0ज0जा0<br>(ST)  | 04          | 01                              | -                                | -                              | _                | 02                    |
|             | अधिकारी                              | अ0पि0व0<br>(OBC) | 15          | 04                              | _                                | _                              | _                | (LV/PB,<br>HH/PD,     |
|             | (पशुपालन विभाग)<br>(सीधी भर्ती हेतु) | आ0क0व0<br>(EWS)  | 10          | 03                              | -                                | -                              | _                | OA, DW<br>AAV/AV      |
|             |                                      | सामान्य<br>(Gen) | 58          | 17                              | 01                               | 02                             | 02               |                       |
|             |                                      | योग              | 108         | 31                              | 01                               | 03                             | 02               | 02                    |
|             |                                      | अ০जা০<br>(SC)    | 03          |                                 | -                                | _                              | _                |                       |
|             | पशुधन प्रसार<br>अधिकारी              | अ०ज०जा०<br>(ST)  | -           | -                               | _                                | —<br>—                         | _                |                       |
|             | (पशुपालन विभाग)                      | अ0पि0व0<br>(OBC) | 01          |                                 | _                                | -                              | _                | _                     |
| 1.          | (केवल पशुपालन<br>विभाग के विभागीय    | आ0क0व0<br>(EWS)  | _           | - <u> </u>                      | _                                | _                              | _                |                       |
|             | कर्मचारियों हेतु)                    | सामान्य<br>(Gen) | 08          | 02                              | _                                | _                              | _                |                       |
|             |                                      | योग              | 12          | 02                              | _                                | _                              | l –              | -                     |

- (ii) वेतनमान:--रू० 35,400--रू० 112,400 (लेवल--06)
- (iii) आयु सीमा:--21 वर्ष से 42 वर्ष तक।
- (iv) पद का स्वरूप:-अराजपत्रित/अस्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।
- (v)शैक्षिक अर्हता:-
- (a) अनिवार्य अर्हताः-

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान/कृषि/पशुपालन में से किसी एक विषय में स्नातक!

<u>नोट 1ः</u>–

1. पशुधन प्रसार अधिकारी पद के लिए चयनित अभ्यर्थी से नियुक्ति के पूर्व न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के अथवा ऐसे प्रशिक्षण जैसा समय—समय पर सरकार द्वारा विहित किया जाए पर जाने की अपेक्षा की जाएगी।

- 2. चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व दो वर्षीय विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- 3. प्रशिक्षण अवधि में संबंधित अभ्यर्थियों को वेतन, मानदेय अथवा अन्य भत्ते देय नहीं हैं।

केवल पशुपालन विभाग के विभागीय कार्मिकों हेतु:-

विभागीय कर्मचारियों जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को पशुपालन विभाग उत्तराखण्ड में 5 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर ली हो तथा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद् या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् से जीव विज्ञान या कृषि विषय के साथ इण्टरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

नोट 2:- चयनित कार्मिकों को नियुक्ति से पूर्व दो वर्षीय विभागीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।

- (b) अधिमानी अर्हताएं:— अन्य बातों के समान हाने पर, सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने:—
  - (1) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो या
  - (2) एन०एस०एस० का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

<u>नोट 3</u>:— दिव्यांग श्रेणी LV/PB-Low Vision/Partially Blind, HH/PD-Hard of Hearing/Partially Deaf, OA-One Arm Affected (Impaired Reach, Weakness of Grip, Ataxia) DW-Dwarfism, AAV/AV- Acid Attack Victims/Acid Victims.

### 2. पदनाम-

### सहायक प्रशिक्षण अधिकारी (रसायन विज्ञान)

पदकोड-515/676/51/2024

कुल पद-03

(i) रिक्तियों का विवरण:-

|   |                       | ***              | _           | क्षैतिज                         | आरक्षण व                         | ने अन्तर्गत 1                  | रिक्त पदों की    | ो संख्या              |
|---|-----------------------|------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|
| क्र0<br>सं0   | पदनाम/विभाग का<br>नाम | आरक्षण<br>श्रेणी | रिक्त<br>पद | उत्तराखण्ड<br>महिला<br>(UK.WO.) | स्व0सं0से0<br>के आश्रित<br>(DFF) | मूतपूर्व<br>सैनिक<br>(EX.SER.) | अनाथ<br>(ORPHAN) | दिव्यांग<br>(DIVYANG) |
| 1   | 2                     | 3                | 4           | 5                               | 6                                | 7                              | 8                | 9                     |
| सहायक प्रशिक्षण<br>अधिकारी<br>(रसायन विज्ञान)<br>(उद्यान एवं खाद्य<br>प्रसंस्करण, उत्तराखण्ड) | अ0जा0<br>(SC)         | 01               | _           | -                               | 1                                | -                              |                  |                       |
|   | अ०ज०जा०<br>(ST)       | 1                | -           | -                               | -                                | _                              |                  |                       |
|   | अ0पि0व0<br>(OBC)      |                  | _           | _                               | _                                | _                              | _                |                       |
|   | आ0क0व0<br>(EWS)       | 01               | -           | _                               | -                                | _                              | ]                |                       |
|   | सामान्य<br>(Gen)      | 01               |             | -                               |                                  | -                              |                  |                       |
|   |                       | योग              | 03          | -                               | -                                | n—                             |                  | ·                     |

- (ii) वेतनमान:--फ0 29,200--फ0 92,300 (लेवल--05)
- (iii) आयु सीमा:-21 वर्ष से 42 वर्ष तक।
- (iv) पद का स्वरूप:-अराजपत्रित / स्थायी / अंशदायी पेंशनयुक्त।

Stand denigati

3 | Page

- (v) शैक्षिक अ<u>र्हताः</u>—
- (a) अनिवार्य अर्हता:--
  - 1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से रसायन या भूमि/मृदा रसायन या कृषि रसायन के साथ बी०एस—सी० या बी०एस—सी० (कृषि)
- (b) अधिमानी अर्हताएं:—अन्य बातों के समान हाने पर, सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने:—
  - (1) प्रादेशिक सेना मे दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो,
  - (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

### 3. पदनाम-

## अधिदर्शक / प्रदर्शक (रेशम)

पदकोड-022/658/51/2024

कुल पद-10

(i) रिक्तियों का विवरण:-

|                       |                               |                  | ~                         | क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्त पदों की संख्या |                                  |                                |                  |                       |
|-----------------------|-------------------------------|------------------|---------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------------|
| क्र0<br>सं0           | पदनाम/विभाग का<br>नाम         | आरक्षण<br>श्रेणी | आरक्षण रिक्त<br>श्रेणी पद | उत्तराखण्ड<br>महिला<br>(UK.WO.)                 | स्व0सं0से0<br>के आश्रित<br>(DFF) | मूतपूर्व<br>सैनिक<br>(EX.SER.) | अनाथ<br>(ORPHAN) | दिव्यांग<br>(DIVYANG) |
| 1                     | 2                             | 3                | 4                         | 5   | 6                                | 7                              | 8                | 9                     |
|                       | <del> </del>                  | अ0जा0<br>(SC)    | 03                        | _   | -                                |                                | <del></del>      |                       |
|                       |                               | अ०ज०जा०<br>(ST)  | 01                        | _   | <del></del>                      | _                              | -                |                       |
|                       | अधिदर्शक / प्रदर्शक<br>(रेशम) | अ०पि०व०<br>(OBC) | -                         | _   | -                                | _                              | _                |                       |
| 1. (रेशम विकास विभाग) | आ0क0व0<br>(EWS)               | =                | 15.000                    | -   | _                                | _                              |                  |                       |
|                       |                               | सामान्य<br>(Gen) | 06                        | 02  | _                                |                                | -                |                       |
| SE SE                 |                               | योग              | 10                        | 02  | -                                | -                              | -                |                       |

- (ii) वेतनमान:--रू० 19,900--रू० 63,200 (लेवल--02)
- (iii) आयु सीमा:--18 वर्ष से 42 वर्ष तक
- (iv) पद का स्वरूप:-अराजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त।
- (v) शैक्षिक अर्हता:-
- (a) अनिवार्य अर्हता:-

विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद्, उत्तराखण्ड/माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश से जीव विज्ञान समूह के साथ इण्टरमीडिएट (विज्ञान) या कृषि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

House

(b) अधिमानी अर्हताएं:-

अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने:—

- (1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
- (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

### 4. पदनाम-

### निरीक्षक (रेशम)

पदकोड-331/658/51/2024

कुल पद-03

(i) रिक्तियों का विवरण:-

|                     | (14(14) 47 144(-).               |                   | _                         | क्षैतिज                         | आरक्षण                           | के अन्तर्गत                    | रिक्त पदों व     | ने संख्या            |
|---------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|
| क्र0<br>सं0         | पदनाम/विभाग का<br>नाम            | आरक्षण<br>श्रेणी  | आरक्षण रिक्त<br>श्रेणी पद | उत्तराखण्ड<br>महिला<br>(UK.WO.) | स्व०सं०से०<br>के आश्रित<br>(DFF) | भूतपूर्व<br>सैनिक<br>(EX.SER.) | अनाथ<br>(ORPHAN) | दिव्यांग<br>(DIVYANG |
| 1                   | 2                                | 3                 | 4                         | 5                               | 6                                | 7                              | 8                | 9                    |
|                     | अ0जा0<br>(SC)                    | 01                | _                         | -                               | _                                | _                              |                  |                      |
|                     | ¥                                | अ०ज०जा०<br>(ST)   | Ţ                         | -                               | _                                | _                              | -                | _                    |
|                     | निरीक्षक (रेशम)                  | अ0पि0व0<br>(OBC)  | -                         | <del></del>                     | <del>-</del>                     | -                              | =                |                      |
| 1. (रशम विकास विभाग | (रेशम विकास विभाग) <u>आ०क०व०</u> |                   | _                         | _                               | -                                |                                |                  |                      |
|                     |                                  | सामान्य<br>(Gen)_ | 02                        | -                               | -                                | _                              | _                |                      |
|                     |                                  | योग               | 03                        | _                               |                                  | _                              | =                |                      |

- (ii) वेतनमानः--रू० 29,200--रू० 92,300 (लेवल--05)
- (iii) आयु सीमा:--21 वर्ष से 42 वर्ष तक
- (iv) पद का स्वरूप:-अराजपत्रित / स्थायी / अंशदायी पेंशनयुक्त !
- (v) शैक्षिक अर्हता:-
- (a) अनिवार्य अर्हता:-

भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बी०एस—सी० (जीव विज्ञान) या कृषि और अधिमानतः एम०एस—सी० (प्राणी विज्ञान) जिसमें कीट विज्ञान एक विषय हो या एम०एस—सी० (कृषि) या सरकार द्वारा द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता।

(b) अधिमानी अर्हताएं:-

अन्य बातों के समान होने पर, ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा, जिसने:—

- (1) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या
- (2) राष्ट्रीय कैंडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

Some

5 | Page

### 7. लिखित प्रतियोगी परीक्षा का पाठ्यक्रम:-

उक्त पदों के चयन हेतु 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय (Objective Type with Multiple Choice) 02 घन्टे की एक प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें पद की शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी परीक्षा पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट—01 का अवलोकन करें।

### लिखित प्रतियोगी परीक्षाः—

- (i) सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ०बी०सी०) व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई०डब्लू०एस०) श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत न्यूनतम अर्हक अंक लाना अनिवार्य है, अन्यथा वे लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अन्हें माने जाएंगे।
- (ii) अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की अनुमित है।
- (iii) ऑफलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा के ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक (O.M.R. Sheet)ट्रिप्लीकेट (तीन प्रतियों) में होंगे। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की समाप्ति पर प्रत्येक अभ्यर्थी उत्तर पत्रक की मूल प्रति एवं द्वितीय प्रति अपने परीक्षा कक्ष के कक्ष निरीक्षक को अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। ऐसा न करने पर संबंधित अभ्यर्थी का परिणाम शून्य किया जाएगा। ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक की तृतीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमित है।यदि परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाती है, तो परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थियों को उनकी परीक्षा सामग्री यथा प्रश्न बुकलेट व दिए गए उत्तर विकल्प तथा उसके द्वारा दिए गए उत्तर व उसकी कुंजी ऑनलाइन माध्यम से दी जाएगी।
- (iv) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार उत्तर विकल्प दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को चार उत्तर विकल्पों में से एक सर्वोत्तम सही का चयन करना है। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंकों का एक चौथाई ऋणात्मक अंक के रूप में काटा जाएगा।
- (v) यदि अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिये गये उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।
- (vi) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई ऋणात्मक अंक नहीं दिया जाएगा।
- (vii) ओ०एम०आर० शीट में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचना / कटिंग आदि प्रतिबंधित है और इसके लिए भी ऋणात्मक अंक दिया जाएगा।

Jungs

- (viii) यदि कोई अभ्यर्थी अपने ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक में गलत अनुक्रमांक अथवा गलत बुकलेट सीरीज अंकित करता है या अनुक्रमांक के सापेक्ष गलत वृत्तों को अंकित करता है या कुछ भी अंकित नहीं करता है तो उसके ओ०एम०आर० पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- (ix) ऑनलाइन लिखित प्रतियोगी परीक्षा होने की स्थिति में प्रश्न-पत्र व दिये गये उत्तर विकल्प अभ्यर्थी को उपलब्ध कराये गये मॉनीटर/कम्प्यूटर/टैब पर ही प्राप्त होंगे।
- 9. <u>अधिमानः</u>— लिखित प्रतियोगी परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेष्टता सूची तैयार की जाएगी। दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में आयु के आधार पर विरिष्ठता का निर्धारण होगा (आयु में विरिष्ठ अभ्यर्थी पहले तथा किनष्ठ अभ्यर्थी बाद में आएगा)। अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।

10. आयु:-

उपरोक्त सभी पदों हेतु आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जनवरी, 2024 है। इस प्रकार पशुधन प्रसार अधिकारी (पशुपालन विभाग), सहायक प्रशिक्षण अधिकारी रसायन विज्ञान (उद्यान एवं खाद्य प्रसस्करण, उत्तराखण्ड), निरीक्षक (रेशम) (रेशम विकास विभाग) के पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु उक्त तिथि को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिदर्शक / प्रदर्शक (रेशम) (रेशम विकास विभाग) के पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु उक्त तिथि को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(क)—परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्याः 1399 दिनांक 21 मई 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्याः 1244, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा समूह—'ग' के पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्याः 1244 दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। अधिसूचना संख्याः 6/1/72 कार्मिक—2 दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमित दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद/सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है।

## 11. <u>आवेदन हेतु पात्रताः</u>—

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह 'ग' के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु निम्नलिखित अनिवार्य / वांछनीय अर्हताओं में से एक होनी आवश्यक हैं:—

(क) अभ्यर्थी का उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन-पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक पंजीकरण हुआ हो।

7 | Page

- (ख) अभ्यर्थी उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवास/स्थाई निवास प्रमाण-पत्र धारक हो।
- (ग) अभ्यर्थी के पास उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवास/स्थाई निवास प्रमाण—पत्र न होने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अपनी हाई स्कूल या इण्टरमीडिएट अथवा इसके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखण्ड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से उत्तीर्ण की गई हो।
- (घ) शासन के पत्रांक—1097/XXX(2)/2011 दिनांक 08.08.2011 के अनुसार "जो व्यक्ति पूर्व से ही राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजित हैं, किन्तु इस विज्ञापन में विज्ञापित पदों के सापेक्ष आवेदन करने के इच्छुक हैं, उनके लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। "उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या—310/XXX(2)/2015 दिनांक 28.07.2015 के अनुसार राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत केवल उत्तराखण्ड राज्य की सेवाएं, सम्मिलत हैं।"

ऐसे अभ्यर्थी जो उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं से इतर अन्य सेवाओं में कार्यरत हैं, अपने विभाग से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त कर सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण करा सकते हैं। उपरोक्त अभ्यर्थियों को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के क्रम में जिनके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण होने का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया गया है, को इस शर्त के साथ औपबन्धिक रूप से अर्ह किया जाएगा कि, वह इस आशय का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करें कि उनके द्वारा सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण हेतु अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लिया है तथा इसकी सूचना सम्बन्धित सेवायोजन कार्यालय को दे दी गई है। इस प्रकार उक्त दोनों आशय का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करने पर ही उन अभ्यर्थियों को अर्ह माना जाएगा।

(ड.) शासन के पत्रांक 809/xxx(2)/2010-3(1)/2010िदनांक 14.08.2012 के अनुसार "जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है उन्हें पुनः सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय द्वारा संबंधित पूर्व सैनिकों को निर्गत पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण—पत्र को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण के समतुल्य माना जायेगा।"

नोट:— अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु पात्रता के प्रस्तर—क, ख, ग, घ, ड. में उल्लिखित शर्तों के अंतर्गत किसी भी एक शर्त को पूरा करना आवश्यक है, जो अभ्यर्थी पर लागू हो।

## 12. अनापत्ति प्रमाण-पत्रः-

जो अभ्यर्थी आवेदन करने की तिथि को सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवा में हों, उन्हें विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

13. <u>राष्ट्रीयताः</u>—

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :--

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 ई0 से पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ़ीकी देशों, केन्या, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रवर्जन किया हो :

Junet

परन्तु यह कि उपयुक्त श्रेणी की (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह है कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थियों से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप-महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण—पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जाएगा कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

ि<u>ष्पणी</u>:— ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि, आवश्यक प्रमाण—पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाए या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाए।

14. <del>चरित्रः</del>-

सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। चयन प्रक्रिया के दौरान भी यदि अभ्यर्थी का कार्य—व्यवहार उचित नहीं पाया जाता है, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर उनके विरुद्ध सम्यक् कार्यवाही की जाएगी। परीक्षा की शुचिता को बाधित करने के लिए नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही भी आयोग द्वारा की जाएगी।

15.वैवाहिक प्रास्थिति:—

सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं, यदि उनका समाधान हो जाय ऐसा करने के विशेष कारण विद्यमान हैं।

16. शारीरिक स्वस्थताः-

किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक कि मानिसक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रुप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वो वित्त हस्त—पुस्तिका खण्ड—दो, भाग—तीन के अध्याय—तीन में मूल नियम—10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार चिकित्सा परिषद् का स्वस्थता प्रमाण—पत्र प्रसुत्त करें।

### 17. <u>आरक्षण</u>:--

1. ऊर्ध्व आरक्षण— उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछडी जातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा।

Junds

- 2. क्षैतिज आरक्षण— उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिकों, महिलाओं तथा अनाथ अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड के प्राविधानों तथा समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत नियमों/शासनादेशों के अनुसार देय होगा। आवेदन पत्र के साथ आरक्षण संबंधी श्रेणी/उपश्रेणी का प्रमाण—पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आरक्षण उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्राप्त नहीं है।
- अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण प्राप्त करने के लिए 'केवल उत्तराखण्ड राज्य सरकार की सेवाओं हेतु निर्गत प्रमाण पत्र' ही मान्य होगा।
- 5. जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जाएगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन के समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(i)"भृतपूर्व सैनिक" से उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी अभिप्रेत है, जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप मे सेवा की हो और जो-(एक) अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त हुआ है, या (दो) चिकित्सकीय आधार पर, जैसा कि सैन्य सेवा के लिए अपेक्षित हो, ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, या ऐसी परिस्थितियों, जो उसके नियंत्रण से बाहर हो, के कारण निर्मुक्त किया गया है और जिसे चिकित्सकीय या अन्य योग्यता पेंशन दी गई है, या (तीन) जो ऐसी सेवा के अधिष्ठान में कमी किये जाने के फलस्वरूप, स्वयं की प्रार्थना के बिना, निर्मुक्त किया गया है या (चार) विशिष्ट निर्धारित अवधि पूर्ण करने के पश्चात् ऐसी सेवा से निर्मुक्त किया गया है, किन्तु अपनी स्वयं की प्रार्थना पर निर्मुक्त नहीं किया गया है, या दुराचरण या अदक्षता के कारण पदच्यत या सेवा मुक्त नहीं किया गया है और जिसे ग्रेच्युटी प्रदान की गयी है और इसमें टेरीटोरियल आर्मी के निम्नलिखित श्रेणी के कार्मिक भी हैं-(एक) निरन्तर संगठित सेवा के लिए पेंशन पाने वाले, (दो) सैन्य सेवा के कारण चिकित्सीय अपेक्षाओं में अयोग्य व्यक्ति, और (तीन) शौर्य पुरस्कार पाने वाले।(चार) जो अभ्यर्थी आरक्षण की जिस श्रेणी में आवेदन करेगा उसका परिणाम उसी श्रेणी या उपश्रेणी में घोषित किया जाएगा, जब तक कि वह Open Category की मेरिट में स्थान प्राप्त न करे। अभिलेख सत्यापन समय आवेदन पत्र भरे जाने की अन्तिम तिथि तक का आरक्षित श्रेणी / उपश्रेणी संबंधी प्रमाण-पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

नोट 1:— 1—भारत सरकार के O.M. No. 36034/6/90-Estt.(SCT)दिनांक 02 अप्रैल 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि "the ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt. in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. jobs."

Losung

2— भारत सरकार के Notification No. 36034/5/85-Estt.(SCT)दिनांक 27 अक्टूबर, 1986 के अनुसार उत्तराखण्ड का ऐसा अधिवासी जिसने भारतीय थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में योद्धक या अनायोद्धक के रूप में सेवा की हो और अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण होने से पूर्व किन्तु 01 वर्ष के अन्तर्गत आवेदन करने की दशा में उन्हें भूतपूर्व सैनिक हेतु निर्धारित आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा।

3— भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को निर्धारित क्षैतिज आरक्षण या उनके आश्रित के रूप में किसी भी प्रकार की छूट या आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है।

(ii) "स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित" से तात्पर्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के (एक) पुत्र और पुत्री (विवाहित या अविवाहित) (दो) पौत्र (पुत्र का पुत्र) और पौत्री (पुत्र की पुत्री)(विवाहित या अविवाहित) (तीन) पुत्री के पुत्र/पुत्री से है।

### नोट 2:--

- 1. शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 19%, उत्तराखण्ड के अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 04%, उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 14% तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वीकृत कुल संवर्गीय पदों का 10% ऊर्ध्व आरक्षण अनुमन्य है। विज्ञप्ति में नियोक्ता विभाग से रोस्टर के अनुरूप प्राप्त आरक्षण दिया गया है।
- शासनादेशों के नवीनतम् प्राविधानों के अनुसार उत्तराखण्ड की महिला के लिए 30%, उत्तराखण्ड के भूतपूर्व सैनिक के लिए 05%, उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के लिए 02%, दिव्यांगजनों के लिए 04% तथा अनाथ बच्चों हेतु 05% क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य होगा।
- यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।
- 4. आरक्षण का लाभ संबंधित आरक्षण श्रेणी का वैध प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही मिलेगा।

नोट 3:— अभ्यर्थी पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट—1 तथा आरक्षण से संबंधित प्रपत्र हेतु परिशिष्ट—2(क), 2(ख), 2(ग), 2(घ), 2(घ), 2(छ) का अवलोकन करें। अभ्यर्थी परिशिष्ट—2 के अनुसार ही अपने प्रपत्र तैयार करवायें।

नोट 4 :- रिक्तियों की संख्या बढायी या घटायी जा सकती है।

18. ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया:-

इस प्रक्रिया को ऑनलाइन आवेदन प्रारम्भ तिथि को आवेदन पत्र के साथ प्रसारित किया जाएगा।

11 | Page

### अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है:--

| क्र0सं0 | श्रेणी   | शुल्क (रू०) |
|---------|--|-------------|
| 01      | अनारक्षित / सामान्य (Unreserved/General) / उत्तराखण्ड अन्य<br>पिछड़ा वर्ग (OBC)                  | 300.00      |
| 02      | उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (SC) / उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (ST) / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) |             |
| 03      | उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थी (DIVYANG)  | 150.00      |
| 04      | अनाथ (ORPHAN)  | 00.00       |

नोट:—निर्धारित तिथि तक शुल्क आयोग के खाते में प्राप्त होने पर ही आवेदन पत्र पूर्ण भरा हुआ माना जाएगा।

## 20. अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व निम्न महत्वपूर्ण निर्देशों व शर्तो को पढ़े:-

- (1) आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभ्यर्थी, पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, सेवायोजन पंजीकरण की वैधता, आरक्षण की श्रेणियां व उपश्रेणियां आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही आवेदन पत्र भरें, क्योंकि ऑनलाइन फार्म में बिना प्रमाण—पत्रों/संलग्नकों के सन्निरीक्षा की जानी संभव नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अन्तिम चयन के बाद भी अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है।
- (2) अभ्यर्थी ऊर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकनऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में, रिट् याचिका (स्पेशल अपील) संख्या:—79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस)19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण—पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना आवश्यक है। वर्तमान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भी आरक्षण अनुमन्य किया गया है। इस श्रेणी में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी भी आवेदन की अंतिम तिथि तक संगत प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लें।
- (3) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन—पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य वांछित समस्त अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। सभी प्रकार के पूर्ण ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को "ONLINE APPLICATION" प्रक्रिया में "Submit" बटन को "Click" करना अनिवार्य है।
- (4) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन—पत्र तथा अन्य अभिलेखों की प्रिन्टआउट प्रति भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक उपयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। यदि अपने अभ्यर्थन या अन्य मामलों में अभ्यर्थी कोई आपत्ति प्रस्तुत करें, तो आवेदन पत्र आदि अभिलेख अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

make

- (5) उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्यों का प्रकटीकरण जिनकी वैध प्रमाण—पत्रों के आधार पर पुष्टि न हो या फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित किया जा सकता है, साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जाएगा।
- (6) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शतों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनित्तम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि अभिलेख सत्यापन के चरण तक किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अंतिम रूप से चयनित हो जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
- (7) ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र या अन्य किसी बिन्दु पर किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (8) ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली—भाँति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही—सही भरें। आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए विवरणों / प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।
- (9) ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पर्याप्त समय पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें। आवेदन के समय के अंतिम दिनों में इससे वेबसाइट पर अतिरिक्त भार आता है व इससे अभ्यर्थी भी आवेदन पत्र भरने से वंचित हो सकते हैं।
- (10) आवेदन के इस चरण में ऑनलाइनआवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण—पत्र को आयोग कार्यालय में जमा करने की आवश्यकता नहीं है।
- (11) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पद की संगत सेवानियमावली एवं अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णय इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जाएगी!
- (12) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शतों के अनुसार अर्ह हैं। अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी की शैक्षिक व अन्य अनिवार्य अर्हताओं को सेवा नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप ही देखा जाएगा, नियमावली से अलग अर्हता धारण करने वाले अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

Some

- (13) ऑनलाइन आवेदनमें अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम तथा जन्म तिथि हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुरूप अंकित करने की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक अभ्यर्थी को अपना अलग मोबाइल नम्बर व ई—मेल भी देना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी के पास अपना स्वयं का मोबाइल नम्बर नही है तो वे अपने परिवार के सदस्यों के मोबाइल नम्बर अंकित करें जो आयोग से प्राप्त होने वाले संदेश व अन्य जानकारियां तुरंत प्राप्त करने में सुगम रहे। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण—पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- (14) लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश—पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों को आयोग वेबसाइट पर तथा प्रेस नोट आदि के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
- (15) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजी / कुंजियों को परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रसारित किये जाने के पश्चात निर्धारित समय के भीतर प्रश्नपत्र एवं संबंधित उत्तर के संबंध में अपना प्रत्यावेदन / आपित्त ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑफलाइन या निर्धारित अविध के उपरान्त प्राप्त आपित्तयों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा। जिन प्रश्नों पर कोई भी आपित्त प्राप्त नहीं होती है, उन्हें सही प्रश्नोत्तर मानते हुये परिणाम जारी किया जाएगा।
- (16) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैल्कुलेटर, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रोनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमित नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते है तो उन पर उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में सम्मिलित होने पर रोक सिहत अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रोनिक उपकरण सिहत किसी प्रकार कि प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है। परीक्षा केन्द्र पर सुरक्षा जांच के दौरान दिये जा रहे सभी निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा।
- (17) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित:— परीक्षा कक्ष में कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करेगा।
- (18) परीक्षा भवन में आचरणः— कोई भी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें, अव्यवस्था ना फैलाएं तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान ना करें। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कटोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त उत्तर पुस्तिका (OMR)की मूल व द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जाएं। यदि अभ्यर्थी मूल या द्वितीय प्रति कक्ष निरीक्षक को न देकर स्वयं ले जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी का परिणाम शून्य कर दिया जायेगा।
- (19) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' मूल रूप में तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

Hanne 14 | Page

- (20) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:--
- (क) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि, वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित / प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया / जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित / प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगित या विसंगित हो तो इस विसंगित के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए। आवेदन पत्र में झूठा विवरण देने, परीक्षा कक्ष में प्रतिबंधित सामग्री ले जाने, अनुचित साधनों के प्रयोग करने, अनुचित आचरण करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करने के साथ ही उन्हें आयोग की परीक्षाओं के लिए प्रतिबन्धित करने व उनके विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही भी की जाएगी। परीक्षा के उपरांत चयन के अन्य चरणों में भी अभ्यर्थियों द्वारा की गई अनुशासनहीनता उनके अभ्यर्थन को निरस्त करने हेतु आधार बनेंगी।
- (ख) अभ्यर्थियों से ऐसे आचरण की अपेक्षा की जाती है, जो सार्वजनिक सेवा में पात्रता के अनुकूल हो, क्योंकि चयनित होने के उपरांत उन्हें सरकारी सेवक के रूप में लोक सेवा के अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। कितपय मामलों में यह संज्ञान में आया है कि अभ्यर्थियों द्वारा गलत मंशा से आयोग या राज्य सरकार की छिव खराब की जा रही है। पूरी चयन प्रक्रिया के दौरान यदि किसी अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों का आचरण एक सीमा से अधिक अशोभनीय पाया जाता है तो उनका अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है व उन्हें आयोग की भविष्य में होने वाली परिक्षाओं से भी प्रतिवारित किया जा सकता है। अभ्यर्थियों को यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आयोग एक स्वायत्त (Autonoms) संस्था है व चयन प्रक्रिया में किसी भी चरण के लिए आयोग पर राजनैतिक या अन्य किसी प्रकार का दबाव बनाने पर ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध आयोग द्वारा कार्यवाही की जाएगी।
- (21) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति की संस्तुति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि आयोग को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि आयोग द्वारा की गयी संस्तुति से अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।
- (22) परीक्षा केन्द्रों के लिए यद्यपि अभ्यर्थी से प्राथमिकता ली जाती है, तथापि परीक्षा की गोपनीयता / शुचिता के दृष्टिगत या अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के दृष्टिगत इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। अतः परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु आयोग का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- (23) विज्ञापन की आरक्षण तालिका में प्रयुक्त संक्षिप्त शब्दों को निम्नानुसार पढ़ा जाए-

**EWS** 

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

WO

महिला अभ्यर्थी

DFF

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित

EX.SER.

भूतपूर्व सैनिक

DIVYANG

Trista Milas

DIVIDIO

दिव्यांग

**ORPHAN** 

अनाथ बच्चे

James James

- (24) इस विज्ञप्ति द्वारा प्रारम्भ की गई चयन प्रक्रिया में पदों की संख्या आवश्यकता के अनुरूप घटाई या बढ़ाई जा सकती है। परीक्षा का पाठ्यक्रम तथा परीक्षा में अभ्यर्थन से संबंधित अन्य शर्ते व पात्रतायें स्पष्ट हैं। इन्हें भलीभाँति देखकर आवेदन करें। आवेदन—पत्र भर जाने का अर्थ है कि अभ्यर्थी इन सभी बातों को स्वीकार करता है। इसके बाद चयन प्रक्रिया के अगले चरणों में इन शर्तों, पात्रताओं व पाठ्यक्रम आदि पर आपित्त स्वीकार नहीं की जायेगी तथा इसे चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला समझा जाएगा।
- (25) आयोग द्वारा अब ऑफलाइन परीक्षा के साथ—साथ ऑनलाइन (Computer based test)परीक्षाओं का भी आयोजन किया जा रहा है। अतः यह परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों में से किसी एक प्रक्रिया से सम्पन्न कराई जाएगी।
- (26) उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 32/XXXVI(3)/2023/01(01)/2023 दिनांक 11 फरवरी, 2023 के क्रम में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग—4 के पत्रांक—16/XXX(4)/2023-03(27)2022 दिनांक 13 फरवरी, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश—2023 प्रख्यापित किया गया है। किसी भी दुराचार के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश—2023 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(सुरेन्द्र सिंह प्रावत)

परिशिष्ट-1

SYLLABUS FOR THE POST OF INTERMEDIATE LEVEL EXAM (PASHUDHAN PRASÁAR ADHIKARI, NIREEKSHAK, ADHIDARSHAK PRADARSHAK, SAHAYAK PRASHIKSHAN ADHIKARI (CHEMISRTY) etc.

#### UNIT-1

DIVERSITY OF LIVING WORLD:- Diversity of living organisms. Classification of the living organisms (Five kingdom classification, major groups and principles of classification within each kingdom. Systematics and binomial system of nomenclature, Salient features of animal (Non-chordates up to phylum level and chordates up to class level) and plant (major groups; Angiosperm up to class) classification, viruses, virolds, lichens, Botanical garden, herbaria, zoological parks and museums.

Current general knowledge and current scientific advancement with above topic.

#### UNIT-2

STRUCTURAL ORGANISATION IN ANIMALS AND PLANTS: Tissues in animals and plants. Morphology, anatomy and functions of different parts of flowering plants: root, stem, leaf, inflorescence, flower, fruit and seed. Morphology, anatomy and functions of different organ systems of an annelid (earthworm), an insect (cockroach) and an amphibian (frog).

Current general knowledge and current scientific advancement with above topic.

#### UNIT-3

CELL: STRUCTURE AND FUNCTION: Cell theory, prokaryotic and eukaryotic cell, cell wall, cell membrane and cell organelles (plastids, mitochondria, endoplasmic reticulum, Golgi bodies/dictyosome, ribosomes, lysosomes, vacuoles, centrioles) and nuclear organization. Cell cycle, mitosis, meiosis. Basic chemical constituents of living bodies. Structure and function of carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids. Enzymes: types, properties and functions.

Current general knowledge and current scientific advancement with above topic.

#### UNIT-4

PLANT PHYSIOLOGY: Movement of water, food, nutrients and gases, plants and water relations, mineral nutrition, respiration, photosynthesis, plant growth and development.

HUMAN PHYSIOLOGY: Digestion and absorption, breathing and respiration, body fluids and circulation,

excretory products and elimination, neural control and coordination, chemical coordination and regulation.

Current general knowledge and current scientific advancement with above topic.

#### UNIT-5

#### REPRODUCTION:

Reproduction in organisms: Asexual and sexual reproduction. Sexual reproduction in flowering plants: Structure of flower, pollination, fertilization, development of seeds and fruits, apomixis and polyembryony. Human Reproduction: Reproductive system in male and female, menstrual cycle, production of gametes, fertilization, implantation, embryo development, pregnancy, parturition and lactation. Reproductive Health: Population and birth control, contraception and MTP, sexually transmitted diseases (STD), infertility.

Current general knowledge and current scientific advancement with above topic.

Springe

Pajaulo

#### UNIT-6

#### GENETICS AND EVOLUTION

Mendelian inheritance. Chromosome theory of inheritance, deviation from Mendelian ratio (Gene Interaction incompelete dominance, co-dominance, multiple alleles). Sex determination in human beings and Honey being Linkage and crossing over. Inheritance pattern: Mendelian disorders and chromosomal disorders in human. DN and RNA, search for genetic material, genetic code, replication, transcription and translation. Gene expression and regulation. Genome and Human Genome Project, DNA finger printing. Evolution: Origin of life, Theories an evidences, Adaptive radiation, Mechanism of evolution, Origin and evolution of man.

Current general knowledge and current scientific advancement with above topic.

#### UNIT-7

#### BIOLOGY AND HUMAN WELFARE

Basic concept of immunology, vaccines. Pathogens, parasites, Cancer and AIDS, Adolescence and drug/alcohologue. Plant breeding, tissue culture, single cell protein, food production, animal husbandry. Microbes i household food processing, industrial production, sewage treatment, energy generation, biocontrol agents an biofertilizers.

Current general knowledge and current scientific advancement with above topic.

#### **UNIT-8**

#### BIOTECHNOLOGY AND ITS APPLICATION

Principle and process; Recombinant DNA Technology; Application of biotechnology in Health, Agriculture and Environment. Genetically Modified (GM) organisms. Biosafety issues.

Current general knowledge and current scientific advancement with above topic.

#### UNIT-9

#### **ECOLOGY END ENVIRONMENT**

Ecosystems: components, types, energy flow, nutrients cycle and ecosystem services. Organism and population: Organism and its environment, population and ecological adaptations.

Biodiversity and Conservation: Biodiversity concept, patterns and importance, Loss of biodiversity, Conservation and management, Hot spots, endangered organisms. Protected Areas (Biosphere Reserves, National Parks and Sanctuaries), Wetlands. Environmental issues.

Pollution, Forest fires, floods and landslides in Uttarakhand- causes and remedies. Current general knowledge and current scientific advancement with above topic.

#### UNIT-10

#### SOME BASIC CONCEPTS OF CHEMISTRY

General Introduction: Importance and scope of chemistry. Historical approach to particulate nature of matter, Laws of chemical combination: law of conservation of mass, law of constant proportion, law of multiple

La Joulan

Some

proportion. Gay Lussac's gaseous law, Calculations based on these laws. Dalton's atomic theory: concepts of elements, atoms and molecules. Atomic and molecular masses, Equivalent weight (acid, base and salts). Mole concept and molar mass: percentage composition, empirical and molecular formula, chemical reactions and stoichiometric calculations. Avogadro's law. Calculations based on normality, molality, molarity, mole fraction and ppm.

Current general knowledge and current scientific advancement with above topic.

#### UNIT-11

#### STRUCTURE OF ATOM

Discovery of electron, proton and neutron; Atomic number, Isotopes, Isobars and Iso-electronic species. Atomic models (Thomson's,Rutherford's and Bohr's) and their limitations. Schrodinger's wave equation. Shells and subshells, Concept of orbitals, Shape of s, p and d orbitals, Quantum numbers, Aufbau's principle. Hund's rule, Pauli's exclusion principle. Dual nature of matter and light, de-Broglie's relationship, Heisenberg uncertainty principle. Electronic configuration of atoms and ions, Stability of half-filled and completely filled orbitals, Types of spectra (emission and absorption), Hydrogen spectrum and line spectra.

Current general knowledge and current scientific advancement with above topic.

#### UNIT-12

### CLASSIFICATION OF ELEMENTS AND PERIODICITY IN PROPERTIES; s AND p-BLOCK ELEMENTS

Development of periodic table, Modern periodic law and present form of periodic table. Trends of variation in properties of elements: atomic radii, ionic radii, ionization energy, electron gain enthalpy, electro negativity and oxidation state in groups and periods.

s and p-block elements: Introduction, diagonal relationship, Trends in chemical reactivity with oxygen, water, hydrogen and halogens. Some important compounds: Silicones, silicates and zeolites.

Current general knowledge and current scientific advancement with above topic.

#### UNIT-13 ·

#### CHEMICAL BONDING AND MOLECULAR STRUCTURE

Types of Bonds (ionic, covalent and coordinate bonds), Bond parameters. Lewis's structure. Polar nature of covalent bond, Covalent character of ionic bond. Hybridization involving s, p, and d orbitals. Shapes and geometry of molecules and ions. Valence bond theory, Hydrogen bond, VSEPR theory, Molecular orbital theory (theory of homo nuclear diatomic molecules), Hydrogen bond

Current general knowledge and current scientific advancement with above topic.

#### UNIT-14

#### THERMODYNAMICS

Concepts of system and surrounding. Work, Heat, Energy, Extensive and Intensive properties, State functions. Thermodynamic process based on variables. First law of thermodynamics: internal energy, enthalpy, heat capacity and specific heat, calculation of  $\Delta U$  and  $\Delta H$ . Hess's law of constant heat summation and its applications.

Salaun3

June 12

Enthalpy of: bond formation, bond dissociation, combustion, atomization, sublimation, fusion. Concept of entropy. Criteria of spontaneity. Free energy change for spontaneous and non-spontaneous processes. Current general knowledge and current scientific advancement with above topic.

#### UNIT-15

#### **EQUILIBRIUM**

Equilibrium in physical and chemical processes, Dynamic nature of equilibrium. Law of mass action, Equilibrium constant, Factors affecting equilibrium, Le Chatelier's principle. Ionic equilibrium: ionization of acids and bases, degree of ionization, Ostwald law of dilution, Concept of pH (acid and base), Buffer solutions, Solubility product, Common ion effect (with illustrative examples)

Current general knowledge and current scientific advancement with above topic.

#### UNIT-16

Redox Reactions and Electrochemistry

Redox reactions: Concept of oxidation and reduction, Redox reactions, Oxidation number, Application of redox reactions.

Electrochemistry: Conductance in electrolytic solutions, Specific, molal and molar conductivity, Variations of conductivity with concentration, Kohlrausch's Law, Electrolysis and laws of electrolysis.

Electrochemical cell, Electrochemical series and its application, EMF of a cell, Standard electrode potential, Standard hydrogen electrode, Nernst's equation and its application, Fuel cell and corrosion. Dry cell: Electrolytic cells and Galvanic cells.

Current general knowledge and current scientific advancement with above topic.

#### UNIT-17

#### d and f-block elements and coordination compounds

d and f-block elements: General introduction, Electronic configuration, Characteristics of transition metals, General trend in properties of the first row transition metals: metallic character, ionization enthalpy, oxidation states, ionic radii, colour, catalytic property, magnetic properties, interstitial compounds, Alloy formation. Preparation and properties of  $K_2Cr_2O_7$  and  $KMnO_4$ .

Lanthanoids: Electronic configuration, Oxidation states, Chemical reactivity and Lanthanide contraction.

Actinoids: Electronic configuration and oxidation states.

Coordination compounds: Introduction, ligands, coordination number, colour, magnetic properties, (inner and outer orbital complexes), Shapes and geometry, IUPAC nomenclature of mononuclear coordination compounds, isomerism, Application of coordination compounds.

Current general knowledge and current scientific advancement with above topic.

#### UNIT-18

#### CHEMICAL KINETICS

Rate of a reaction (average and instantaneous), Factors affecting the rate of reaction (concentration, temperature, surface area and catalyst), Order and molecularity of a reaction, Rate law and specific rate

) of uto

constant, Integrated rate equation and half life period (Zero and first order reaction), Concept of collision theory.

Current general knowledge and current scientific advancement with above topic.

#### UNIT-19

#### GENERAL ORGANIC CHEMISTRY

General introduction, Methods of qualitative and quantitative analysis. Classification and IUPAC nomenciature of organic compounds. Fission of a covalent bond. Reagents: electrophiles and nucleophiles. Catenation. Electronic displacement in a covalent bond (inductive effect, eletromeric effect, resonance, and hyperconjugation) and their applications. Reaction intermediates (free radicals, carbocations, and carbanions). Types of organic reactions (Substitution, addition, elimination and rearrangement). Isomerism and its types.

Alkanes: Nomenclature, isomerism, conformation (ethane only), Methods of preparation, Physical and chemical reactions including free radical mechanism of halogenation, Combustion and pyrolysis.

Alkenes: Nomenclature, Structure, Bonding and geometrical isomerism, Preparation and properties, Markownikov's rule and anti Markownikov's rule, Ozonolysis, Oxidation and Mechanism of electrophilic addition reaction.

Alkynes: Nomenclature, structure and bonding, Methods of preparation, Physical and chemical properties, Acidic character of alkynes.

Current general knowledge and current scientific advancement with above topic.

#### UNIT-20

#### AROMATIC HYDROCARBONS

Introduction, IUPAC nomenclature, Aromaticity and Huckel's rule. Benzene: Methods of preparation, Physical and chemical properties, Mechanism of electrophilic substitution reaction. (nitration, sulphonation, Friedel craft's alkylation and acylation, ortho, para and meta directing groups in monosubstituted benzene.

Current general knowledge and current scientific advancement with above topic.

#### UNIT-21

#### HALOALKENES AND HALOARENES

Classification, IUPAC nomenclature, nature of C-X bond, Methods of preparation, Physical and chemical properties, Substitution reactions (SN<sup>1</sup> and SN<sup>2</sup>), Polyhalogen compounds.

Current general knowledge and current scientific advancement with above topic.

#### Unit-22

#### OXYGEN AND NITROGEN CONTAINING ORGANIC COMPOUNDS:

Alcohols: Classification, IUPAC nomenclature, Distinguish between primary, secondary and tertiary alcohols, Methods of preparation, Physical and chemical properties along with name reactions.

2 a feither

Ether: Classification, IUPAC nomenclature, Methods of preparation, Physical and chemical properties along with name reactions.

Phenol: IUPAC nomenclature, Methods of preparation, Physical and chemical properties along with name reactions. Acidic character of phenol

Adehydes and Ketones : IUPAC nomenclature, Methods of preparation, Physical and chemical properties along with name reactions.

Ester: IUPAC nomenclature, Methods of preparation, Physical and chemical properties along with name reactions.

Amines: Classification, IUPAC nomenclature, Methods of preparation, Physical and chemical properties along with name reactions. Distinguish between primary, secondary and tertiary amines.

Current general knowledge and current scientific advancement with above topic.

#### UNIT-23

#### APPLIED CHEMISTRY

Chemistry of carbohydrates, Chemistry of proteins, Lipids and Polymers.

Pollution, Air, water and soil pollution. Chemical reactions in atmosphere, Smog. Major atmospheric pollutants, Acid rain, Ozone layer depletion and its effect, Greenhouse effect and global warming, Pollution due to industrial wastes, Green chemistry as an alternative tool for reducing pollution, Strategy for control of environmental pollution.

Soil and its constituents, pH of soil, Fertilizers, Pesticides, Insecticides and Herbicides.

Tranquilizers, Analgesics, Antibiotics, Food preservatives, Colouring agents, Soap and detergents, Artificial sweeteners.

Current general knowledge and current scientific advancement with above topic.

La Jalla

## परिशिष्ट-2(क)

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रपत्र (जैसा कि उ०प्र० पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

| प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी   |  |
|--|--|
| सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री  | निवासी ग्राम                           |
| तहसीलनगर   | जिला                                   |
| उत्तराखण्ड की जाति के आदेश 1950(जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुर रूप में मान्यता दी गई है। | संविधान (अनुसूचित जनजाति उ०प्र०) आदेश  |
| श्री/श्रीमती/कुमारीतहसीलतहसीलतहसीलमें सामान्यतया रहता  | नगर                                    |
| स्थान :-<br>दिनांक :-  | हस्ताक्षर<br>पूरा नाम<br>पदनाम<br>मुहर |

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/ सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

## परिशिष्ट-2(ख)

## उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्घारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र। प्रमाण-पत्र का प्रारूप उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

(जैसा कि उ०प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

|                              |                             | T   |
|------------------------------|-----------------------------|---|
| सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री  |                             | निवासी ग्राम                                    |
|                              |                             | जिला  |
| उत्तराखण्ड के राज            | य की                        | पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति              |
| उ०प्र0 लोक सेवा(अनुसूचित     | जातियों, अनुसूचित जनज       | गतियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षण      |
| अधिनियम, 1994) जैसा कि उ     | उत्तराखण्ड राज्य में प्रभाव | वी है, की अनुसूची—1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त |
| है। उक्त अधिनियम, 1994 व     | की अनुसूची—2 में अधिसू      | वना संख्या—22/16/92—का—2/1995 टी.सी             |
| दिनांक 08 दिसम्बर, 1995 द्वा | ारा यथा संशोधित से आच       | छादित नहीं है।                                  |
| श्री / श्रीमती / कृमारी      |                             | तथा/अथवा उनका परिवा                             |
|                              |                             | नग्र  |
| जिला                         |                             |   |
|                              |                             |   |
| स्थान :-                     |                             | हस्ताक्षर                                       |
| दिनांक :                     |                             | पूरा नाम  |
|                              |                             | पदनाम   |
|                              |                             | मृहर  |

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/ जिला समाज कल्याण अधिकारी।

## परिशिष्ट-2(ग)

### उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम एवं पता) (अधिसूचना संख्या—64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च 2019 के अधीन)

## आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण-पत्र

| प्रमाण-पत्र संर                            | ब्रा  | वर्ष                                    | हेतु मान्य                        | दिनांक   |
|--|---|---|-----------------------------------|--|
| पुत्र/पत्नी/पु                             | त्री  | *************************************** | ाती / कुमारीगाम / मोहल्ला<br>पिन  |  |
| इनके परिवार                                | की सभी स्रोतों से विव                           | त्तीय वर्ष                              | की और                             | न फोटो नीचे प्रमाणित है।<br>सत आय आर्थिक रूप से    |
|  | के लिए निर्धारित मानक<br>ाई सम्पत्ति धारित नहीं |   | (रूपये आठ लाख) से क               | न्म है और इनका परिवार                              |
| II.<br>III.                                |   | ार्ग फुट या उस<br>ओं में 100 वर्ग       | ासे अधिक, या<br>गज या उससे अधिक व | हे आवासीय भूखण्ड, या<br>गज या उससे अधिक के         |
|  | राखण्ड सरकार की अ                               |   |                                   | जाति से हैं और भारत<br>प्रन्य पिछड़ा वर्ग सूची में |
| आवेदक का न<br>पासपोर्ट साइए<br>प्रमाणित फे | वीनतम<br>ज का                                   |   | हस्ताक्षर सहित का<br>नाम<br>पदनाम |  |

## परिशिष्ट-2(घ)

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र शासनादेश संख्या-4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997 (जैसा कि उ०प्र० पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

| प्रमाणित किया जात   | ा है कि श्री/श्रीमती/कुम   | नारी  |
|---|--|---|
| सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री   |  | निवासी ग्राम  |
| तहसील   | <u> </u>   | जिला  |
| सैनिक के लिए आरक्षण) अ<br>संग्राम सेनानी है और श्री/<br>पुत्र/पुत्री/पौत्र/ | धिनियम, 1993 जैसा कि<br>'श्रीमती / कुमारी(आश्रित)<br>पौत्री(पुत्र की पुत्री)(विवाहित | स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व<br>उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता<br>त या अविवाहित) उपयंकित अधिनियम, 1993 के ही<br>तंग्राम सेनानी) के आश्रित है। |
| स्थान :<br>दिनांक :   |  | हस्ताक्षर<br>पूरा नाम<br>पदनाम<br>मुहर<br>जिलाधिकारी  |

# परिशिष्ट-2(च)

# निःशक्तता प्रमाण-पत्र

| संस्थान,                                | /अस्पताल का नाम और पता  |  |   |
|---|---|--|---|
| प्रमाण पः                               | त्र संख्याः—  |  |   |
|   |   |  | तारीख   |
|   | निःशव   | त्तता प्रमाण–पत्र                        |   |
|   | who have a set to the | ·  | चिकित्सा बोर्ड के<br>अध्यक्ष द्वारा विधिवत<br>प्रमाणित उम्मीदवार<br>का हाल का फोटो<br>जो उम्मीदवार की<br>निःशक्तता दर्शाता<br>हो। |
|   | ामाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/  | 2- |   |
| सुपुत्र/प                               | ग्त्नी / सुपुत्री   |  |   |
| *************************************** | नम्नलिखि  | त श्रेणी की स्थायी निः                   | शक्तता से ग्रस्त है।  |
| क. गति                                  | विषयक(लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय  | पक <u>্षाघात(</u> फॉलिज)                 |   |
|   | दोनों टांगे(बी. एल.) — दोनों पैर प्रभावित<br>दोनों बांहें(बी. ए.) — दोनों बांहे प्रभावित  |  | भें   |
|   | दोनों टांगे और बांहें (बी.एल. ए.) — दोनों<br>एक टांग(ओ.एल.) — एक टांग प्रभावित  | टांगे और दोनों बांहें प्र                | भावित   |
|   |   | (क) दुर्बल पहुंच                         |   |
|   |   | (ख) कमजोर पकड़                           |   |
|   |   | (ग) गति विभ्रम (अटैवि                    | न्सस)   |
| v. 1                                    | एक बांह (ओ.ए.) – एक बांह प्रभावित   |  |   |
|   |   | (क) दुर्बल पहुंच                         |   |
|   |   | (ख) कमजोर पकड़                           |   |
|   |   | (ग) गति विभ्रम (अटैवि                    | न्सस)   |
|   | पीठ और नितम्ब (बी.एच.) – पीठ और नि<br>कमजोर मांस पेशियां (एम.डब्लू.) – मांस   | तम्ब में कड़ापन(बैठ औ                    | र झुक नहीं सकते)  |

#### ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि – बी. - अंघता पी. बी. - आंशिक रूप से अंधता ग. कम सुनाई देना डी. - बधिर i. पी. डी. - आंशिक रूप से बधिर (उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो) 2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती-....वर्षों.........................महीनों की अवधि के पश्चात पुनर्निर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। \* उनके मामले में निःशक्तता का प्रतिशत...... 4. श्री/श्रीमती/कुमारी......अपने कर्तव्यों के निर्वहन के निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते / करती हैं:--हां / नहीं एफ- अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकतें/सकती हैं। i. पी.पी.→ धकेलने और खींचने के जिए कार्य कर सकते / सकती हैं। हां / नहीं ii. एल- उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हां / नहीं iii. के.सी.- घुटनों के बल झुकने और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हां / नहीं iv. बी- झक कर कार्य कर सकते / सकती हैं। हां / नहीं ٧. एस- बैठ कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हां/नहीं vi. एस.टी.- खडे होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। हां/नहीं vii. डब्लू- चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं। हां / नहीं viii. एस.ई.- देख कर कार्य कर सकते / सकती हैं। हां / नहीं ix. एच- सुनने / बोलने के ज़रिए कार्य कर सकते / सकती हैं। हां / नहीं X. आर.डब्लू.- पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। हां/नहीं xi. (ভা০.....) (ভাত.....) (ভা০.....)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा अधिकारी / अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित (मुहर सहित)

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

सदस्य

चिकित्सा बोर्ड

<sup>\*</sup>जो लागू न हो काट दें।

# परिशिष्ट-2(छ)

# दिव्यांगता की श्रेणियों से संबंधित प्रयुक्त संक्षिप्तियों का विवरण

# Description Of Abbreviations Used Related To DIVYANG Categories

वर्गीकरण से सम्बन्धित प्रयुक्त संक्षिप्तियाँ

| C N/O | CATEGO     | DRY CODE                   | ABBREVIATION  | ON USED  |
|-------|------------|----------------------------|---|--|
| s.no. | अंग्रेजी   | हिन्दी                     | अंग्रेजी  | हिन्दी   |
| 1     | B.         | बीo                        | Blind   | दृष्टिहीनता  |
| 2     | L.V/P.B.   | एल०वी० / पी०बी०            | Low Vision/Partially Blind  | कमदृष्टि / आंशिक दृष्टि  |
| 3     | D.         | ভী0                        | Deaf  | बिधर   |
| 4     | H.H/P.D.   | एच०एय० / पी०डी०            | Hard of Hearing/Partially Deaf                                      | श्रवण शक्ति में हास/आंशिक बधिर   |
| 5     | O.A.       | ओоएо                       | One Arm Affected (1) Impaired reach (2) Weakness of grip (3) Ataxia | एक हाथ प्रभावित<br>(1) ह्रासित<br>(2) पकड़ने में असमर्थ<br>(3) स्नायु दुर्बलता |
| 6     | O.L.       | ओ०एल०                      | One Leg Affected  | एक पैर प्रभावित  |
| 7     | B.A.       | बी०ए०                      | Both Arm Affected (1) Impaired (2) Weakness of grip                 | दोनों हाथ प्रभावित<br>(1) हासित<br>(2) कमजोर पकड़                              |
| 8     | B.L.       | ৰী0एল0                     | Both Leg Affected   | दोनों पैर प्रभावित   |
| 9     | B.L.A.     | बी०एल०ए०                   | Both Leg and Both Arm Affected                                      | दोनों पैर तथा दोनों हाथ प्रभावित   |
| 10    | B.H.       | बी०एच०                     | Stiffback and Hips (cannot sit or stoop)                            | रिटफ बैक एण्ड हिप्स (बैठ नहीं<br>सकते)   |
| 11    | O.A.L.     | ओ०ए०एल०                    | One Arm and One Leg Affected  | एक पैर और एक हाथ प्रभावित  |
| 12    | C.P.       | सी0पी0                     | Cerebral Palsy  | प्रमस्तिष्क घात  |
| 13    | L.C.       | एल0सी0                     | Leprosy Cured   | रोगमुक्त कुष्ठ   |
| 14    | Dw.        | डीडब्ल्यू0                 | Dwarfism  | बौनापन   |
| 15    | A.A.V/A.V. | ए०ए०वी० /<br>ए०वी०         | Acid Attack Victims/Acid<br>Victims                                 | एसिड आक्रमण पीड़ित/एसिड<br>पीड़ित  |
| 16    | A.S.D.     | ए०एस०डी०                   | Autism Spectrum Disorder  | स्वपरायणता   |
| 17    | S.L.D.     | एस०एल०डी०                  | Specific learning Disability  | विनिर्दिष्ट अधिगम दिव्यांगता   |
| 18    | I.D.       | आई০ঙী০                     | Intellectual Disability   | बौद्धिक दिव्यांगता   |
| 19    | M.Dy./M.W. | एम०डीवाई० /<br>एम०डब्ल्यू० | Muscular Dystrophy/Muscular<br>Weakness and limited physical        | पेशीय दुष्पोषण / मांसपेशी की<br>कमजोरी तथा<br>सीमित शारीरिक सहनशक्ति           |
| 20    | M.I.       | एम०आई०                     | Mental Illness  | मानसिक अस्वस्थता   |
| 21    | M.D.       | एम0डी0                     | Multiple Disabilities   | बहु दिव्यांगता   |
| 22    | Th.        | ਟੀएच0                      | Thalassaemia  | थैलेसीमिया   |
| 23    | Hp.        | एचपी0                      | Hemophilia  | <b>हीमोफीलिया</b>  |



To get the latest jobs alert on your mobile Please Join our WhatsApp group